

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर
पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.ए.ए.

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

छोगाराम पुत्र चेलाराम जाति
सुथार, निवासी बडगांव, तहसील
रानीवाडा, जिला जालोर

राजस्थान सरकार जग्गिये भूमिधारी
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील

39/2019

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय
दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर.
एक्ट, प्रकरण संख्या 01/2019 छोगाराम बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेन्ट
- 3- श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 06.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर याद जांच दर्ज
रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जग्गिये सम्मन भूचित किया गया। अधीनस्थ
न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। विवरण में बहस
सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपील ग्रस्त भूमि के बारे
में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह राजस्थान में जागीर
कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी
भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण सूची में
पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्सॉज किया,
जिसका इस अपील में कोई विवाद नहीं है। मूर्चा-बी-मका आबादी भूमि
आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही
अपीलग्रस्त भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे
पड़ी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर
(जागीर) से जांच करवाई गई उन्होंने याद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पेश
माननीय कमीशनर के न्यायालय में पेश की, उसमें मूर्चा बी के क्रम संख्या 4
में भूमि के पडौस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उज नहीं प्राप्त नहीं
होने से पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त
(जागीर) ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी
तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिए वह निर्णय अंतिम है। कृष्ण है। इस
निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुस्ती कर खसरा नम्बर 721
में आरण की बजाय गै.मु. आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि एवेन्यु रेकॉर्ड
को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी
जागीरदार से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिए अपीलान्ट ने
आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्कालीन
तहसीलदार भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को आरण की
मानकर वेदखली व जुमनि का आदेश किया है जो विधि के प्राधान्य के

विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :- पटवारी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार सर्वत 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रूपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 6/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालौर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीशनर साहव के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि को मौके पर जांच की, उस वक्त चक्की व मकान पाये गये लिख है जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पति की सूची 1958-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटों की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, लेकिन मौतबिशान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने आवासीय मकानात जागीरदार की निजी भूमि के पडौस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की बजाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पति की सूची बी में क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बनाये, जिनमें से अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायतों से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाजार जांच आबादी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बैचाननाम पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए 'रूल ऑफ एस्टापल्ल' के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विबंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल क्षेत्र में तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माना के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिकारता की गैर हाजरी में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिकारता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है तबकि

गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उनका भी निर्णय में हवावा नहीं दिया जवाब के साथ कुल 10 दरतावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी.पी.सी के प्रावधानों के भी विरुद्ध है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उन्ही दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकले व रास्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इसमें पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीरों की थी जागीरदार खुद कृषि की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाईश काय आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौम में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रेकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवाय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी तब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे है उन्होंने कोई उत्तरवाही नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रेकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने काल को बेदखल कर जूरमाना कर वसुल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेन्ट आथिरीटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत के मुकाबले वृद्धि की है जिसमें भी आविष्ट है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। गांव के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बडगांव की पुराने आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील पर विद्यमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपील पर व विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

वहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलेंट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पेटवार हक्का बडगांव द्वारा गैर सायल छोगाराम के विरुद्ध मौजा बडगांव की खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अति दमन किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 12/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय परित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश पूर्व दर्ज जूरमाना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या

42/2012 छोगाराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 का अपील की अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 26/2012 छोगाराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निगरानी/एल.आर/1441/2015/जालोर छोगाराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाड़ा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाड़ा को इस निर्देश के माध्यम से प्रेषित किया गया कि बहस कथन एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी छोगाराम पुत्र चेलाराम जाति सुधार साकिन बडगांव द्वारा अर्थात् राज्य से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 9 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षर पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचारार्थ अर्थात् प्रकरण संख्या 01/2019 सरकार बनाम छोगाराम में तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के सरकारी क्षेत्र 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अर्थात् भूमि बडगांव का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। उप जिलाधीश, जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी जमीन है को आबादी में दर्ज बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र में उल्लेख करते हुये उनमें पेश भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। आबादी भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जरिये रजिस्टर्ड बेचन रस्तावेज के अपीलांत को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम प्रशासन बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पानी बिजली के कनेक्शन भी नियत है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर निजी क्रेमी संवत् प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता अथवा

है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकार में अपीलांत अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है। तथा भू-खण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा -अधिकार अभिलेख में लिये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वो विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये। इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है। इसे अपीलांत साबित करने में सफल रहा है। क्योंकि प्रकरण संख्या 01/2019 सरकार बनाम छोगाराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बन्दी है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है। जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजस्थान अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहम के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांत को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांत द्वारा गैर मुमकिन ओरण के रूप में भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जागीर कमिश्नर राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विवादिन खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है। जिसको पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है। रेजिस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपरोक्त रेकॉर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2009 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है। अतः आधारहीन अपील को खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहम के विद्वानों पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संख्या 2068 में श्री छोगाराम पुत्र चेलाराम जाति सुधार निवासी बडगांव द्वारा नाजाज कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को निर्णय तयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 12/2012 सरकार बनाम छोगाराम दर्ज कर सर सायल छोगाराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु भवन क्रिया प्रशासक तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर वाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके पर बरतान करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये से बंडित किया गया निर्णय दिनांक

29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अर्पित संख्या 42/2012 छोगाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांट की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अर्पित संख्या 26/2012 छोगाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलार्थीन निधि बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1441/2015/जालोर छोगाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आदेशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहम कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करें। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी छोगाराम पुत्र चेलाराम जाति सुथार साकिन बडगांव द्वारा अवैध रूप से गैर मुम्किन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी के द्वारा 11 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बर्तार जुमाने लगाने का 1/- रूपये का पचास गुणा 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है जो बसूला हो। विचारार्थीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 01/2019 सरकार बनाम छोगाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 को ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिममें ए भाग सृष्टि भूमि का तथा बी भाग आवादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आवादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से अतिक्रमण दस्तावेज के अपीलांट द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी जारी करना के अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन क्रिया है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 में सृजित हुये है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुम्किन ओरण पत्रसूची अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिवधित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि

को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तवेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्थानकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि है चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलांत वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील जालंधर के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेंट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलांत किस्म भी इन्कार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार मनीबहा द्वाारा मुकदमा संख्या 01/2019 सरकार बनाम घोषाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नंबर में बंद हो।

59-

(महेश सोनी)

जिला जज, जालंधर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

59-

(महेश सोनी)

जिला जज, जालंधर